मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक- एफ 16-16/2020/पी-2/31 भोपाल, दिनांक ....

प्रति,

श्री अशोक कुमार जाटव,
तत्कालीन कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
जिला दतिया।

द्वारा:- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषय:- विभागीय जांच विरूद्ध- श्री अशोक कुमार जाटव, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला दतिया। (सांसद मद के अंतर्गत ग्राम दलपतपुर से पिपरौआखुर्द तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड का निरीक्षण न कर उपयोगिता प्रमाण पत्र कर शासन को हानि पहुंचाने संबंधी) में समक्ष सुनवाई बावत् सूचना पत्र।

सांसद ग्वालियर द्वारा अनुशंसित सांसद मद के अंतर्गत ग्राम दलपतपुर से पिपरौआखुर्द तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण का निरीक्षण किये बगैर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की अनियमितता के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव कलेक्टर दतिया से प्राप्त होने के क्रम में आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आपके विरूद्ध दिनांक 25/04/2014 से आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जांच संस्थित की की जाकर जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई।

2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपर कलेक्टर/जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन सहित प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रेषित किया है। जांच प्रतिवेदन में आपके विरूद्ध आरोप क्र. 1 प्रमाणित पाया, समर्थन में निम्न तथ्य प्रस्तुत हैं:-

2 (क) प्रश्नाधीन कार्य के प्राक्कलन में कार्य का नाम मिट्टी मुरम रोड दलपतपुर से पिपरौआ खुर्द है, जबकि तकनीकी प्रतिवेदन में द्वितीय श्रेणी पहुंच मार्ग दलपतपुर से पिपरौआ खुर्द अंकित है एवं इसी प्राक्कलन पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग सेवढा द्वारा क्रमांक 424 दिनांक 04/02/2004 से जारी तकनीकी स्वीकृति में कार्य का नाम उल्लेखित नहीं है।

2 (ख) कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा आदेश क्र. 420-426 दिनांक 19/02/2004 के सरल क्र. 8 पर ग्राम दलपतपुर मार्ग से पिपरौआ खुर्द तक डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण 01 कि.मी. के लिये 2.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी।

2 (ग) प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद डब्ल्यू.बी.एम. रोड का कार्यशील प्राक्कलन (वर्किंग स्टीमेट) श्री एल.आर. शाक्य उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया था, जिसका अनुमोदन अपचारी अधिकारी श्री अशोक कुमार जाटव तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां. सेवा संभाग दतिया ने तत्समय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग सेवढ़ा एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दतिया की हैसियत से किया था।

कार्यशील प्राक्कलन में कार्य का नाम डब्ल्यू.बी.एम. रोड दलपतपुर से पिपरौआ खुर्द अंकित है। मूल प्राक्कलन में प्रावधानित मिट्टी मुरम इत्यादि की मात्राओं को कम करते हुए कार्यशील प्राक्कलन में डब्ल्यू.बी.एम. रोड के लिए मात्राओं का समावेश किया गया था।

2 (घ) अपचारी अधिकारी श्री जाटव, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां. सेवा संभाग दतिया की पदस्थ अवधि में माप पुस्तिका क्र. 193 के पेज क्र. 20 से 52 तक दर्ज मापों एवं पारित किए गये भुगतानों में कार्य का नाम डब्ल्यू.बी.एम. रोड दलपतपुर से पिपरौआ खुर्द अंकित है।

2 (ङ) अपचारी अधिकारी श्री जाटव द्वारा अपने बचाव उत्तर में यह लेख किया जाना कि उनके द्वारा शासन की राशि का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है, यह तथ्यात्मक नहीं है। डब्ल्यू.बी.एम. रोड का कार्यशील प्राक्कलन श्री जाटव द्वारा ही अनुमोदित किया गया था, वह कार्यालयीन नस्ती में उपलब्ध है। अत: उनके द्वारा तत्कालीन समय में डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण के संबंध में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही की जाना चाहिए था। निर्माण कार्य विभागीय रूप से संपादित कराया गया था, जिसमें सामग्री जैसे मुरम, मेटल, ह्यूम पाईप को सप्लायर्स से क्रय कर लेबर का कार्य मस्टर पर श्रमिक लगाकर संपादित कराया गया है।

2 (च) माप पुस्तिका क्र. 193 में दर्ज माप एवं भुगतान में डब्ल्यू.बी.एम. रोड का कार्य दर्ज होना नहीं पाया गया है।

2 (छ) सप्लायर्स से क्रय की गई मुरम इत्यादि की राशि यदि प्राक्कलन में प्रावधानित राशि से अधिक थी तो तत्समय ही कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर तदानुसार सडक निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने में अपचारी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो अपचारी श्री जाटव की गैर जिम्मेदारी, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सिद्ध होकर आरोप प्रमाणित होता है।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिन्दु क्र. 2 (क) लगायत 2 (छ) का बिन्दुवार उत्तर एवं जांच प्रतिवेदन पर प्रतिवाद उत्तर सहित आपकी अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के समक्ष दिनांक 10/02/2021 को अपरान्ह 12:30 बजे सुनवाई नियत है।

अत: आप समक्ष सुनवाई हेतु नियत तिथि/समय पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के कक्ष क्रमांक डी-104, प्रथम तल, वल्लभ भवन-3, मंत्रालय, भोपाल में उपस्थित होकर अपना पक्ष आवश्यक अभिलेखों के साथ रख सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति की दशा में नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(विकास नरवाल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-16/2020/पी-2/31 भोपाल, दिनांक 09/02/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को दिनांक 08/02/2021 के पूर्व पत्र तमील कराकर पावती विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. स्टॉफ़ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वेब मैनेजर, (कार्यपालन यंत्री), कार्यालय: प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग